न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
091/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/145)	26.03.2021	20.10.2021

अनवान

श्रीमती रतनीबाई पत्नि रामलाल जाट निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स वण्डर सीमेंन्ट लिमिटेड, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ (राज.)

अप्रार्थी

उपस्थिति :- चम्पालाल जाट — अधिवक्ता प्रार्थी
एन. के. नाहर — अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 बाबत् आदेश दिनांक 19.01.2021 को सेट एसाईड किये जाने हेतु

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 बाबत् आदेश दिनांक 19.01.2021 को सेट एसाईड किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ग्राम धनोरा तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1440, 1441, 1443 कुल किता 3 क्षेत्रफल 1.10 हैक्टेयर में निहित 1/2 हिस्सा भूमि का मुआवजा तय करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय आप में धारा 89(4) भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनाक 25.02.2020 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया पर दिनाक 18.03.2020 को तामील दर्ज कर दिनांक 07.04.2020 को न्यायालय आप में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया, अन्यथा एक पक्षीय रूप से सुनवाई होगी ऐसा सूचनापत्र में वर्णित किया। यह एक पक्षीय सम्मन विधि अनुसार तामील नहीं हुआ है। आदेश 5 नियम 18 सीपीसी अनुसार किन के सामने सम्मन दिया गया, वर्णन नहीं है। दिनाक 07.04.2020 को बरोज सूचनापत्र अनुसार पेशी के दिन राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन था जो जहां था वहीं पर रूक गया। समस्त गतिविधि रूक गई थी। न्यायालय की आदेशिका में भी यह वर्णन है। दिनांक 07.04.2020 को प्रार्थीया लॉक–डाउन के कारण नहीं आ पाई। राजकीय आदेश से नही आ पाया। पेशी आगामी दिनाक

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते WEB Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

12.05.2020 तत्पश्चात 23.06.2020, 07.07.2020 तक कोरोना महामारी की वजह से तब्दील होती रही। कोई भी पक्षकार न्यायालय में नहीं आ पाया। जहां नोटिस की प्रथम पेशी पर ही कोरोना महामारी की वजह से पेशी दिनाक 07.04.2020 आदेशिका की तारीख जो बदली है आगामी दी जानी चाहिये थी। धारा 64(2) भू-राजस्व अधिनियम में मात्र यही प्रावधान है कि समय व स्थान बाबत् उपस्थित पक्षकार व गवाह को सूचित किया जावेगा। प्रार्थीया कोरोना महामारी की वजह से विधि द्वारा बाधित उक्त दिनांक एवं तत्पश्चात् भी बाधित रही विपक्षी को आगामी पेशी बाबत सूचित किया जाना चाहिये था। प्रार्थीया का प्रकरण अपवाद में आता है। प्रार्थीया पर सम्मन तामील होना नहीं माना जा सकता जो तारीख है उस रोज एवं तत्पश्चात लगातार कई महीनो तक बंद रही है। फिर भी प्रकरण में दिनाक 19.11.2020 को एक तरफा का दिनाक 02.02.2021 को निर्णय पारित कर दिया, जो पूर्णतया अवैध है। प्रार्थीया की कृषि भूमि बाबत निर्णय हुआ है। विपक्षी का आवेदन गलत है एवं अवैध मांगो पर आधारित है। प्रार्थीया की खातेदारी की अवाप्ति हेतु धारा 89 (4) भू-राजस्व अधिनियम में प्रावधान नहीं है मात्र प्रार्थीया के कब्जे एवं भू-तल के डिस्टर्ब होने का मुआवजा तय किया जाना है। खातेदारी समाप्ति हेतु कोई आदेश दिया ही नहीं जा सकता। जो मुआवजा तय किया है वह भी क्षेत्र की सीमेन्ट फैक्ट्रियों द्वारा खरीद भूमि से कम दर पर तय किया है तथा प्रार्थीया की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कीमती 10,00,000/- अक्षरे दस लाख है। दो टयूबवेल कीमत 150000 रूपये है जिस बाबत कोई मुआवजा तय नहीं किया एवं प्रार्थीया की आराजी नम्बर 1443 पर कोई तारबंदी नही है। 67500 रूपये कीमत तय की गई है। तारबंदी प्रार्थीया की नहीं है जिससे यह तारबंदी का मुआवजा लेने की हकदार नहीं है। प्रार्थीया अपनापक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी जिस कारण से न्यायहित में दिनांक 19.01.2021 को जो एक पक्षीय कार्यवाही की है को समाप्त किया जाकर दो तरफा किया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थीया को मूल प्रकरण में एतराज, जवाब एवं क्लेम का अपना अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया अनपढ़ महिला है मात्र हस्ताक्षर करना जानती है। प्रार्थीया दिनाक 06.07.2020 से ही टाईफाइड हो जाने के कारण अपना ग्रामीण देशी इलाज करवाती रही एवं कोरोना महामारी की वजह से घर पर ही रहना आवश्यक हो गया। प्रार्थीया अब तक भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाई। प्रार्थीया को अन्य भूमि का भी अवाप्त का सम्मन मिसल नम्बर 067/2021 को दिनाक 16.03.2021 को पेशी का मिला तब वण्डर सीमेन्ट के न्यायालय आप में रिप्रजेन्ट करने वाले अफसर ने बताया कि मेरा उपरोक्त कृषि भूमि का फैसला हो गया। मैने दिनाक 16.03.2021 को ही नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल मेरे को दिनाक 19.03.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 20.3.2021 को अधिवक्ता से मिलकर छुट्टी के रोज ही यह आवेदन तैयार करवाया एवं दिनाक 20.03.2021 शनिवार एवं दिनाक

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

21.03.2021 को रविवार होकर राजकीय अवकाश होने से आज बगैर देरी के पेश किया जा रहा है। अतः जानकारी दिनाक से 30 दिन की अवधि में पेश किया जा रहा है। दिनाक 19.01.2021 से आज दिनांक तक के समय की देरी को कन्डोन करने हेतु आवेदन धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथपत्र अलग से पेश है। अन्त में प्रार्थना की गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर दिनाक 19.01.2021 को प्रदत्त एक पक्षीय आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण को दो तरफा किया जाकर प्रार्थीया को एतराज जवाब एवं क्लेम पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकार पुनः निर्णय पारित किया जावें। आवेदन के साथ शपथपत्र प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थीया के प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 22.09.2021 को अप्रार्थी कम्पनी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 20.10.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्व प्रथम उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र बाबत् मियाद अधिनियम पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीया अनपढ़ महिला है मात्र हस्ताक्षर करना जानती है। प्रार्थीया दिनाक 06.07.2020 से ही टाईफाइड हो जाने के कारण अपना ग्रामीण देशी इलाज करवाती रही एवं कोरोना महामारी की वजह से घर पर ही रहना आवश्यक हो गया। प्रार्थीया अब तक भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाई। प्रार्थीया को अन्य भूमि का भी अवाप्त का सम्मन मिसल नम्बर 067/2021 को दिनाक 16.03.2021 को पेशी का मिला तब वण्डर सीमेन्ट के न्यायालय आप में रिप्रजेन्ट करने वाले अफसर ने बताया कि मेरा उपरोक्त कृषि भूमि का फैसला हो गया। मैने दिनाक 16.03.2021 को ही नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल मेरे को दिनाक 19.03.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 20.3.2021 को अधिवक्ता से मिलकर छुट्टी के रोज ही यह आवेदन तैयार करवाया एवं दिनाक 20.03.2021 शनिवार एवं दिनाक 21.03.2021 को रविवार होकर राजकीय अवकाश होने से आज बगैर देरी के पेश किया जा रहा है। अतः जानकारी दिनाक से 30 दिन की अवधि में पेश किया जा रहा है। दिनाक 19.01.2021 से आज दिनांक तक के समय की देरी को कन्डोन फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीया ने देरी की अवधि को कण्डौन किये जाने हेतु असत्य तथ्य अंकित किये। प्रार्थीया प्रार्थनापत्र हस्ताक्षर करना स्वीकार करती है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रार्थनापत्र में धारा 89(4) के प्रावधानों के संबंध में इस चरण में उल्लेखित कर चुनौती देने से प्रार्थीया के अनपढ महिला के तथ्य असत्य सिद्ध होते हैं। प्रार्थीया पर नोटिस की व्यक्तिगत रूप से दिनांक 07.04.2021 को तामील हुई। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र में टाईफाईड से बीमार होने से घर पर रहने एंव अब तक भी पूर्ण स्वस्थ नहीं होने के तथ्य उल्लेखित किये जो भी असत्य है। स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति टाईफाईड से दिनांक 06.07.2020 से दिनांक 16.03.2021 तक अस्वस्थ नहीं रह सकता है। द्वितीय फाईफाईड का देशी ईलाज किस व्यक्ति से किस प्रकार कितने दिनों तक करवाती रही इसके सबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये। देशी ईलाज ग्रामीण में किसी व्यक्ति से करवाया इस व्यक्ति का नाम का कोई उल्लेख नहीं किया ना ही शपथपत्र प्रस्तुत किया। वण्डर सीमेंट की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त है। वण्डर सीमेंट की ओर से कोई अफसर वण्डर सीमेंट को रिप्रजेन्ट नहीं करता है। प्रार्थीया को वण्डर सीमेंट को रिप्रजेन्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम का उल्लेख प्रार्थनापत्र में नही किया एंव कोई शपथपत्र भी पेश नहीं किया। प्रार्थीया को विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नोटीस तामील दिनांक 07.04.2021 से ही है। प्रकरण में दिनांक 09.02.2021 को आदेश पारित होने के तथ्यों को छिपाया। प्रार्थीया ने देरी की अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु कोई उचित **Sufficient Reason** कारण उल्लेखित नहीं होने से गुणावगुणों पर पारित आदेश को विधि के अनुसार अपास्त नहीं किया जा सकता हैं। इस ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि प्रार्थीया को अन्य भूमि का भी अवाप्त का सम्मन मिसल नम्बर 067/2021 को दिनाक 16.03.2021 को पेशी का मिला तब वण्डर सीमेन्ट के न्यायालय आप में रिप्रजेन्ट करने वाले अफसर ने बताया कि मेरा उपरोक्त कृषि भूमि का फैसला हो गया, ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 02.02.2021 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद का एक महत्वपूर्ण तथ्य है ऐसी स्थिति में मियाद प्रार्थना पत्र का निर्णय मूल प्रार्थना पत्र के साथ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को रिजर्व रखा जाता है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीया ग्राम धनोरा तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1440, 1441, 1443 कुल किता 3 क्षेत्रफल 1.10 हैक्टेयर में निहित 1/2 हिस्सा भूमि का मुआवजा तय करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा न्यायालय आप में धारा 89(4) भू-राजस्व अधिनियम के तहत दिनाक 25.02.2020 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया पर दिनाक 18.03.2020 को तामील दर्ज कर दिनांक 07.04.2020 को न्यायालय आप में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया, अन्यथा एक पक्षीय रूप से सुनवाई होगी ऐसा सूचनापत्र में वर्णित किया। यह एक पक्षीय सम्मन विधि अनुसार तामील नहीं हुआ है। आदेश 5 नियम 18 सीपीसी अनुसार किन के सामने सम्मन दिया गया, वर्णन नहीं है। दिनाक 07.04.2020 को बरोज सूचनापत्र अनुसार पेशी के दिन राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन था। दिनांक 07.04.2020 को प्रार्थीया लॉक-डाउन के कारण नहीं आ पाई। जहां नोटिस की प्रथम पेशी पर ही कोरोना महामारी की वजह से पेशी दिनाक 07.04.2020 आदेशिका की तारीख जो बदली है आगामी दी जानी चाहिये थी। धारा 64(2) भू-राजस्व अधिनियम में मात्र यही प्रावधान है कि समय व स्थान बाबत् उपस्थित पक्षकार व गवाह को सूचित किया जावेगा। प्रार्थीया कोरोना महामारी की वजह से विधि द्वारा बाधित उक्त दिनांक एवं तत्पश्चात् भी बाधित रही विपक्षी को आगामी पेशी बाबत सूचित किया जाना चाहिये था। प्रार्थीया पर सम्मन तामील होना नहीं माना जा सकता जो तारीख है उस रोज एवं तत्पश्चात लगातार कई महीनो तक बंद रही है। फिर भी प्रकरण में दिनाक 19.01.2021 को एक तरफा का दिनांक 02.02.2021 को निर्णय पारित कर दिया, जो पूर्णतया अवैध है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी कम्पनी में अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रकरण संख्या 075/2020 (रे.वि.) में नोटिस पर प्रार्थीया की (व्यक्तिगत) तामील हुई नोटिस पर प्रार्थीया को हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थीया पर नोटिस की तामील व्यक्तिगत रूप से हुई। प्रार्थीया स्वयं का कर्त्तव्य था कि कोरोना संक्रमण के उपरांत न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही एवं तारीख पेशी की जानकारी प्राप्त करती। प्रार्थीया स्वयं की लापरवाही के लिये न्यायालय को दोषी ठहरा कर गुणावगुणों पर पारित आदेश को अपास्त नहीं करा सकती है। न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिनांक 19.01.2021 को पारित कर प्रकरण में बहस सुनने के उपरांत प्रकरण में पेशी दिनांक 09.02.2021 को गुणावगुण पर आदेश पारित किया। एक पक्षीय आदेश दिनांक 19.01.2021 के उपरांत प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया धारा 89(4) एल. आर. एक्ट के प्रावधान की जानकारी अपने में निहीत रखती है इसके उपरांत भी धारा 89(4) के आदेश को गलत तथ्यों पर अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। धारा 89(4) के अंतर्गत कम्पनी की माईनिंग

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द ...)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

लीज में स्थित खातेदार की कृषि भूमि के अधिकारों का हनन होने के सबंध में मुआवजा राशि निर्धारण करने के प्रावधान है। विपक्षी का आवेदन अवैध मांगों पर आधारित नहीं होकर धारा 89(4) के अंतर्गत प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया। न्यायालय उप-पंजीयक निम्बाहेडा के पत्र दिनांक 19.03.20 के अनुसार बाजार दरों पर प्रार्थीया के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि का की मुआवजा राशि 15,26,748/-रूपये एवं कृषि भूमि पर फलदार वृक्षों, तारबंदी, पुरानी बावडी इत्यादि की तहसीलदार की मौके की रिपोर्ट के आधार पर समस्त संरचनाओं का मुआवजा 5,75,500/-रूपये कुलिया 21,02,248/- रूपये 100 प्रतिशत सोलिशियन राशि 21,02,248/- रूपये कुलिया 42,04,491/-रू. की राशि का मुआवजा राशि का निर्धारण किया। कृषि भूमि पर दो ट्यूबवेल नहीं होकर मात्र पुरानी बावडी है। प्रार्थीया के 1/2 हक हिस्से के अनुसार 0.59 हैक्टर भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण न्यायालय द्वारा प्रचलित बाजार दर पर किया। प्रार्थीया की कृषि भूमि पर बाउण्ड्रीवाल पत्थरों की नहीं होकर सिर्फ तारबंदी है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित कृषि भूमि की बाजार दर से मुआवजा राशि एवं अन्य संरचनाओं यानि फलदार वृक्षों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। कृषि भूमि पर बाउण्ड्री वाल की तारबंदी होना स्वीकार किया। मगर तारबंदी अपनी नहीं होना बतलाया। जबकि कृषि भूमि सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थीया ने असत्य एंव आधारहीन एंव वास्तविक तथ्यों को छिपा कर गुणावगुणों पर पारित आदेश को छिपा कर अपास्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया जो निरस्तनीय है। प्रकरण में प्रार्थीया रतनी देवी पर सम्मन की व्यक्तिगत तामील हुई। प्रकरण में प्रार्थीया जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिनांक 19.01.2021 का पारित किया। प्रकरण में दिनांक 19.01.2021 को बहस सुनी जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2021 को गुणावगुणों Merit पर धारा 65(1) एल.आर. एक्ट के अंतर्गत आदेश पारित होने से प्रार्थीया से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र Maintanable नहीं है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय को भ्रामक तथ्यों पर प्रकरण में अंतिम पारित आदेश को छिपा कर धोखा देकर एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.01.2021 को अपास्त करने का आधारहीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विधि के अनुसार प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने से धारा 65(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से निरस्त फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि बाबत निर्णय हुआ है। विपक्षी का आवेदन गलत है एवं अवैध मांगो पर आधारित है। प्रार्थीया की खातेदारी की अवाप्ति हेतु धारा 89 (4) भू-राजस्व अधिनियम में प्रावधान नहीं है मात्र प्रार्थीया के कब्जे एवं भू-तल के डिस्टर्ब होने का मुआवजा तय किया जाना है। खातेदारी समाप्ति हेतु

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कोई आदेश दिया ही नहीं जा सकता। जो मुआवजा तय किया है वह भी क्षेत्र की सीमेन्ट फैक्ट्रियों द्वारा खरीद भूमि से कम दर पर तय किया है तथा प्रार्थीया की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कीमती 10,00,000/- अक्षरे दस लाख है। दो ट्यूबवेल कीमत 150000 रूपये है जिस बाबत कोई मुआवजा तय नहीं किया एवं प्रार्थीया की आराजी नम्बर 1443 पर कोई तारबंदी नही है। 67500 रूपये कीमत तय की गई है। तारबंदी प्रार्थीया की नहीं है जिससे यह तारबंदी का मुआवजा लेने की हकदार नहीं है। प्रार्थीया अपनापक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी जिस कारण से न्यायहित में दिनांक 19.01.2021 को जो एक पक्षीय कार्यवाही की है को समाप्त किया जाकर दो तरफा किया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थीया को मूल प्रकरण में एतराज, जवाब एवं क्लेम का अपना अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जो न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर दिनाक 19.01.2021 को प्रदत्त एक पक्षीय आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण को दो तरफा किया जाकर प्रार्थीया को एतराज जवाब एवं क्लेम पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकार पुनः निर्णय पारित किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। सुनी गई बहस के तथ्यों पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 63 से 65 के प्रावधानों का अवलोकन किया।

63. Hearing in absence of party –

1 if any party to a case of proceeding before a revenue court or officer does not appear on the date fixed for hearing, or on any subsequent date or dates to which the hearing may have been postponed, the case or proceeding may be heard and determined in his absence or may be dismissed in default.

2 If on the date fixed for hearing a case or proceeding, a revenue court or officer inds that a summons or notice was not served on any party due to the failure of the opposite party to pay the requisite process - fees for such service, the case or proceeding may be dismissed in default of payment of such process-fees.

64. Adjournment of hearing –

1 A revenue court or officer may, from time to time, adjourn the hearing of a case or proceeding.

2 The time and place of an adjourned hearing of a case or proceeding shall be intimated at the time of the adjournment to such of the parties and witnesses as are present

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

65 No appeal form order passed under Section 63 –

1 Except where a case or proceeding before any revenue court or officer has been decided on the merits, no appeal shall lie from an order passed under Sec. 63.

2 The party against whom any order vs passed under Section 63 may apply within 30 days from the date of such order have it set aside on the ground that he was prevented by any sufficient cause from appearing at the hearing on from paying the requisite process-fee for the service of a summons or notice on the opposite party, and the revenue court or officer may. after notice to the opposite party and after making such inquiry as may be considered necessary, set aside the order passed.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 65 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। जहॉ अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के मामले में कोई पक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर या किसी बाद की तारीख या तारीखों पर सुनवाई स्थगित हो सकती है, तो मामले या कार्यवाही को सुना और निर्धारित किया जा सकता है तथा उसकी अनुपस्थिति या चूक में मामले का खारीज किया जा सकता है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 64 राजस्व न्यायालय को किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई स्थगित कर सकने के लिये पोषित करती है। तथा किसी मामले या कार्यवाही की स्थगित सुनवाई का समय और स्थान स्थगन के समय ऐसे पक्षकारों और गवाहों को सूचित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 65(2) द्वारा न्यायालय को पोषित किया गया है कि जिस पक्ष के खिलाफ धारा 63 के तहत पारित कोई आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर लागू हो सकता है, उसे इस आधार पर अलग रखा गया है कि उसे किसी भी पर्याप्त कारण से सुनवाई में अपेक्षित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने से रोका गया था। विरोधी पक्ष को सम्मन या नोटिस की तामील के लिए, और राजस्व न्यायालय या अधिकारी कर सकता है। विरोधी पक्ष को नोटिस देने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद जो आवश्यक समझी जाए, पारित आदेश को रद्द कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मूल तथ्य यह उठाया गया है कि न्यायालय आदेश दिनांक 19.01.2021 से प्रार्थीया के विरूद्ध अमल में लाई गई एक तरफा कार्यवाही को **Set-aside** किया जाना न्यायोचित है। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 22.03.2021 को न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधिनियम की धारा 65(2) में जहॉ प्रावधित किया गया है कि आदेश की दिनांक से 30 दिवस की समयावधि को प्रावधित किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीया को प्रकरण की जानकारी/तामील पेशी दिनांक 07.04.2020 बाबत हो चुकी। इसके पश्चात प्रकरण में प्रार्थीया के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2021 को 287 दिवस के

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पश्चात अमल में लाई गई। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया लॉक-डाउन के कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। यह तथ्य अत्यधिक तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अधिनियम की धारा 63 एवं 64 में पक्षकार की अनुपस्थिति एवं सुनवाई के स्थगन के संबंध में प्रावधान प्रावधित है। प्रकरण में आदेशिक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में लॉक-डाउन अवधि एवं पश्चात लगातार क्रमानुक्रम में आदेशिकाओं का अंकन है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया दिनांक 07.04.2020 से दिनांक 19.01.2021 तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण के संबंध जानकारी प्राप्त कर सकती जो कि प्रार्थीया द्वारा नहीं किया गया एवं न्यायालय आदेश दिनांक 19.01.2021 को प्रार्थीया के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अधिनियम की धारा 65(2) में आदेश के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत की निर्धारित अवधि 30 दिवस निर्धारित की गई जबकि प्रार्थीया द्वारा कुल 62 दिवस बाद न्यायायल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में केवल दीगर प्रकरण में तामील प्राप्त होना अवगत कराया गया है, जबकि प्रार्थीया को अपने पूर्व प्रकरण के संबंध में स्पष्ट जानकारी होना प्रार्थीया द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विलम्ब का कोई युक्ति युक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 65(2) के संबंध में विशेष तथ्य नोटिस तामील के संबंध के ही प्रावधित किये गये है। हमने न्यायालय निर्णय दिनांक 02.02.2021 का अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय दिनांक 02.02.2021 द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण मियाद के बिन्दु के साथ-साथ गुणावगुण पर भी सारहीन होना पाया जाता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official